नवभारत

इंदौर, बुधवार, 18 फरवरी 2026

एक नजर में

मंदसौर में आबकारी विभाग की सख्ती : अनियमितताओं पर 55 .22 लाख की शास्ति

मंदसौर । कलेक्टर अदिती गर्ग के मार्गदर्शन में जिला आबकारी विभाग ने जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जनवरी 2026 तक विभिन्न प्रकरणों में कुल 55 लाख 22 हजार 582 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। जिला आबकारी अधिकारी रामहंस पचौरी ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित दरों पर मदिरा विक्रय सुनिश्चित करने और ओवररेटिंग सहित अन्य अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए विभागीय टीम द्वारा लगातार निरीक्षण और टेस्ट परचेस की कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान पाई गई गड़बड़ियों के आधार पर संबंधित लाइसेंसधारियों पर कार्रवाई करते हुए शास्ति अधिरोपित की गई, जिसकी वसूली ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में मदिरा का विक्रय केवल निर्धारित दरों पर ही हो, इसके लिए सघन जांच और शिकायतों के त्वरित निराकरण की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। हालांकि विभाग की इस कार्रवाई को सराहनीय माना जा रहा है, लेकिन जिले के कुछ क्षेत्रों में अब भी पुराने बारों में चोरी-छिपे मदिरा सेवन कराए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिन पर अभी तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन अवैध गतिविधियों पर भी सख्ती से अंकुश लगाया जाना आवश्यक है, ताकि शासन के नियमों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित हो सके।

लिटरेसी क्लब ने स्वास्थ्य जागरूकता क्विज का आयोजन किया, विद्यार्थियों ने दिखाया उत्साह

पिपलियामण्डी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय, पिपलिया में लिटरेसी क्लब के तत्वावधान में विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु स्वास्थ्य जागरूकता क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा दैनिक जीवन में अपनाई जाने वाली अच्छी आदतों के महत्व को समझाना रहा। लिटरेसी क्लब प्रभारी प्रो. प्रीति गिरवाल ने बताया कि वर्तमान समय में अनियमित दिनचर्या, जंक फूड का बढ़ता चलन और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण युवाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में आवश्यक है कि विद्यार्थियों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, स्वच्छता और रोगों से बचाव के उपायों के बारे में सही जानकारी दी जाए। इसी उद्देश्य से इस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज के दौरान विद्यार्थियों से हाथ धोने की सही तकनीक, जंक फूड के दुष्परिणाम, प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने का महत्व, दांतों की स्वच्छता, टीकाकरण की आवश्यकता तथा डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छरजनित रोगों से बचाव के उपायों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए त्वरित उत्तर दिए और अपनी जागरूकता का परिचय दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों को नियमित व्यायाम, योग, पौष्टिक आहार और व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। महाविद्यालय प्रशासन ने ऐसे आयोजनों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताते हुए भविष्य में भी स्वास्थ्य एवं जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही।

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

मंदसौर। जिले में चल रही 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डीजे/सम्बोधन प्रणाली) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंदसौर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि विवाह, बारात, जुलूस, होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज गार्डन में तेज आवाज में डीजे का उपयोग न करें और मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 10(क) का पालन करें। जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों एवं संबंधित संस्थाओं के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

18 लाख रू. की राशि से बन रहा मंदिर मार्ग का भव्य द्वार

- लदूसा नरेश सांवलिया सेठ के भण्डार से निकली 9 लाख 51 हजार से अधिक की दान राशि

मन्दसौर। मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध भगवान (सांवलीया सेठ) के भण्डार कृष्ण पक्ष फाल्गुन मास की चतुर्दशी विक्रम संवत् 2082 दिनांक 16 फरवरी 2026 सोमवार को खोला गया इसमें कुल 9 लाख 51 हजार 470 रु. की दान राशि प्राप्त हुई साथ ही दानपात्र से अमेरिका, कनाडा, अरब अमीरात, वियतनाम, नेपाल राष्ट्र, फिलीपींस, थाईलैंड सही कई देशों की करेंसी एवं चांदी के आभूषण प्राप्त हुए।

मंदिर समिति के ट्रस्टी पं. महेश व्यास लदूसा ने बताया की श्याम वर्ण भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन करने सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे। अमावस्या के दिन भक्तों की संख्या हजारों रही। मंदिर समिति एवं ग्रामीणजनों द्वारा निशुल्क चाय, एवं पेयजल व सभी व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा।

गांव के मुख्य मार्ग चौराहा पर मंदिर निर्माण समिति द्वारा लगभग 18 लाख की राशि से भव्य द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। भक्तों द्वारा दान की हुई राशी का पुरा पारदर्शिता के साथ चेक के माध्यम से लेनदेन किया जा रहा है।

आगामी कार्य योजना में बनेगी यज्ञशाला- वास्तु शास्त्र एवं पारंपरिक मंदिर के अनुसार मंदिर परिसर के आसपास यज्ञशाला निर्माण की योजना बनाई जाएगी जिसमें सभी ग्रहो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना है। पं. व्यास ने बताया कि सायंकाल अमावस्या की आरती एवं महाप्रसादी के लाभार्थी ठा. श्री फुलसिंह जी के सुपुत्र ठा. सा. भंवरसिंह जी ठा. सा. दूलेसिंह जी ठा. रघुवीरसिंह जी श्री कुंवर कुलदीप सिंह जी सोलंकी (ठिकाना) छायन, मन्दसौर की तरफ से रही। इस अवसर पर समिति उपाध्यक्ष रामनारायण पाटीदार, अशोक करवरिया, बबलू धनगर राधेश्याम आर्य सहित सभी उपस्थित रहे।

जनगणना 2027 के अंतर्गत दो चरणों में होगा कार्य, प्रथम चरण में होगी मकान गणना

मंदसौर। मंदसौर जिले में भारत की जनगणना 2027 के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण का प्रथम दिवस संपन्न हुआ। आगामी जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 01 मई 2026 से 30 मई 2026 की अवधि में किया जाएगा। जनगणना 2027 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगरीय एवं ग्रामीण स्तर पर चार्ज अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन्हें जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनगणना लिपिक, तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी उपस्थित रहे।

जनगणना के नोडल अधिकारी अभिषेक सिंह ठाकुर एवं अशोक चौबे द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बताया गया कि जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना तथा द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना का कार्य किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान निर्देश दिए गए कि घर-घर नंबरिंग का कार्य सुव्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप से किया जाए। जितनी सटीक नंबरिंग होगी, गणना कार्य उतना ही व्यवस्थित रहेगा। प्रगणकों को गांव आवंटित किए जाएंगे, जहां वे घरों की नंबरिंग करेंगे। प्रगणकों को नक्शों का अध्ययन करने तथा तहसील स्तर के नक्शों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए, जिससे कार्य में सुविधा एवं शुद्धता बनी रहे। प्रत्येक गांव में गणना ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।

पुलिस पेंशनर्स संघ मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश के 35 जिलों में मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

मन्दसौर। पुलिस पेंशनर्स संघ मध्यप्रदेश के संस्थापक एवं प्रांतीय अध्यक्ष एमपी सिंह परिहार ने बताया कि केंद्रीय सरकार के द्वारा विगत एक जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स को तीन प्रतिशत महंगाई राहत देकर कल 58 प्रतिशत कर दी गई है परंतु आठ माह बीत जाने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तीन प्रतिशत महंगाई राहत नहीं दी गई है पुलिस पेंशनर्स संघ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के 550000 पेंशनर्स की ओर से मध्य प्रदेश शासन से निम्न मांगे की है पहली केंद्रीय सरकार के द्वारा दी गई तीन प्रतिशत महंगाई राहत तत्काल स्वीकृत की जाए व द्वितीय पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा योजना कैबिनेट में स्वीकृत कराई जाकर तत्काल प्रदान की जाए।

उपरोक्त मांगों को लेकर पुलिस पेंशनर संघ मध्य प्रदेश के द्वारा आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगर, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, बालाघाट, मंडला, सिवनी, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, शहडोल आदि 35 जिलों में एक साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है।

एक नजर — भानपुरा के इतिहासकार-साहित्यकार डॉ. प्रद्युम्न भट्ट की चर्चित काव्य कृति का विचार विमर्श हुआ

कल का सूरज' तमस को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है : गेहलोत

पिपलियामण्डी। साहित्यिक पुस्तकों के पठन को प्रोत्साहित करने और स्थानीय साहित्यकारों की कृतियों पर गंभीर विमर्श की परंपरा विकसित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए पाठक मंच के अंतर्गत दूसरी पाठक चर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भानपुरा के इतिहासकार-साहित्यकार डा. प्रद्युम्न कुमार भट्ट की चर्चित काव्य कृति 'कल का सूरज' पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यप्रेमियों ने कृति के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार रखे। अंबालाल विश्वकर्मा ने कहा कि 'कल का सूरज' में डॉ. भट्ट ने अपनी प्रभावशाली भाषा शैली के माध्यम से समाज में व्याप्त विकृत सोच और नैतिक पतन पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि काव्य में अश्लीलता या फूहड़ता का कोई स्थान नहीं है, बल्कि रचना पाठक को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। यह कृति इस तथ्य को पुष्ट करती है कि साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्यकार उसका सजग प्रहरी।

राजेंद्र कैथवास ने कहा कि संपूर्ण काव्य कृति एक सुसंगठित माला की भांति है, जिसमें प्रत्येक कविता अपने आप में सारगर्भित और उद्देश्यपूर्ण है। कन्हैयालाल कारपेंटर ने कहा कि इस कृति में 'शब्द ब्रह्म' की अवधारणा सशक्त रूप में उभरकर सामने आती है। शब्द की सृजनात्मक और विनाशकारी शक्ति को कवि ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है।

शब्द सूक्ष्म भी है और विराट भी इस भाव का संपूर्ण काव्य में व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि काव्य कृति समकालीन राजनीतिक परिदृश्य पर भी तीखी टिप्पणी करती है। कवि ने नेताओं के दोगले चरित्र और विपदाओं के समय घड़ियाली आंसू बहाने की प्रवृत्ति को उजागर करते हुए समाज को सजग रहने का संदेश दिया है। भंवरलाल सैनी 'फौजी' ने कहा कि कवि ने अपने अंदाज में वही भाव व्यक्त किए हैं, जिन्हें समाज का आम व्यक्ति महसूस करता है, किंतु शब्द नहीं दे पाता। देवीलाल सेठिया ने 'कल का सूरज' को 'गागर में सागर' की संज्ञा देते हुए कहा कि कवि ने सौंदर्य और विद्रूपता दोनों का चित्रण कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार की दिशा में संकेत किया है। कार्यक्रम के अंत में साहित्यकार भगवती प्रसाद गेहलोत ने कहा जब घनीभूत पीड़ा और अंधकार रूपी तमस को सूर्य विदीर्ण करता है, तभी जीवन में नवप्रकाश का संचार होता है। 'कल का सूरज' काव्य कृति समाज में व्याप्त अंधकार को चुनौती देने और सकारात्मक परिवर्तन की साधना के लिए प्रेरित करती है।

एक नजर में

नीमच में दीनदयाल रसोई का जैन ने किया निरीक्षण

नीमच। परियोजना अधिकारी शहरी विकास एवं डिप्टी कलेक्टर पराग जैन ने नीमच में संचालित दीनदयाल रसोई योजना अंतर्गत रसोई केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होने निरीक्षण दौरान दीनदयाल रसोई में कार्यरत कर्मचारियों को साफ-सफाई बरतने के निर्देश दिए और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने एवं भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। श्री जैन ने रसोई में भोजन कर रहे हितग्राहियों से चर्चा कर, भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। उन्होन भोजन बनाने वाले कर्मचारियों को स्वच्छता के साथ ही गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार कर हितग्राहियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

विशेष भत्ता कटौती पर भड़के मनासा नगर परिषद कर्मचारी, जनसुनवाई में लगाई गुहार

नीमच। नगर परिषद मनासा के कर्मचारियों ने 10 एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर मिलने वाले विशेष भत्ते की राशि जनवरी माह के वेतन से बिना सूचना काटे जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस संबंध में कर्मचारियों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर आवेदन प्रस्तुत किया और काटी गई राशि वापस दिलाने की मांग की। कर्मचारियों ने आवेदन में बताया कि शासन के नियमानुसार 10 व 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर विशेष भत्ता नियमित रूप से दिया जाता रहा है। यह राशि पिछले कई वर्षों से वेतन में शामिल की जा रही थी। हालांकि, जनवरी माह के वेतन में 1500 से 2500 रुपये तक की राशि बिना किसी पूर्व सूचना या लिखित आदेश के काट ली गई। इस अचानक हुई कटौती से कर्मचारियों में असंतोष और आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन से राशि काटे जाने के संबंध में न तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया और न ही कोई आधिकारिक आदेश जारी किया गया। उन्होंने इसे कर्मचारियों के हितों के साथ अन्यायपूर्ण कदम बताया है। आवेदन के माध्यम से कर्मचारियों ने मांग की है कि जनवरी माह में काटी गई विशेष भत्ते की राशि शीघ्र वापस प्रदान की जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई से पूर्व स्पष्ट आदेश और सूचना जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे कार्य बंद करने को विवश होंगे, जिससे नगर परिषद की कार्य व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

मैं पीड़ित हूं या अपराधी जनसुनवाई में गूंजा धोखाधड़ी का मामला

- 5.64 लाख की जमीन सौदेबाजी पर आमने-सामने दोनों पक्ष

नीमच। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई उस समय गंभीर हो गई, जब हनुमान नगर निवासी विष्णु शर्मा हाथ में आवेदन और दस्तावेज लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे। पीड़ा भरे स्वर में उन्होंने सवाल उठाया न्याय नहीं तो यह जनसुनवाई कैसी मैं पीड़ित हूं या अपराधी×ह्रस्त्रह्लह्वश्; उनके इस सवाल ने वहां मौजूद अधिकारियों और आमजन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

5.64 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

विष्णु शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके साथ 5 लाख 64 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई। उनका कहना है कि अमृतलाल खारोल और उनके पिता ने शासकीय भूमि को निजी भूमि बताकर उनसे सौदा किया और पूरी राशि ले ली। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि जिस भूमि का विक्रय पत्र कराया गया, वह शासकीय भूमि है।

शासकीय भूमि पर कब्जे का आरोप

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि हीराबाई खारोल एवं रेखाबाई पाटीदार के नाम दर्ज निजी भूमि की आड़ लेकर उससे सटी कीमती शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया। विष्णु शर्मा ने इसे सुनियोजित षड्यंत्र बताते हुए मुख्य सूत्रधार के रूप में अमृतलाल खारोल और मुकेश पाटीदार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से संयुक्त एफआईआर दर्ज करने, सीमांकन कर शासकीय भूमि को कब्जामुक्त कराने तथा धोखाधड़ी की राशि आरोपियों से वसूलने की मांग की है।

आरोपों को बताया निराधार

वहीं, अमृतलाल खारोल ने सभी आरोपों को झूठा, मिथ्या और निराधार बताया है। उनका कहना है कि कुछ लोग अवैध रूप से रुपये मांग रहे हैं और दबाव बनाने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अमृतलाल खारोल ने भी जनसुनवाई में विष्णु शर्मा सहित संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

पीड़ित के अनुसार, जब उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिससे वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं।

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करें : कलेक्टर

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को जनसुनवाई करते हुए 92 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण समय-सीमा करने के निर्देश संबंधित जिला अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर श्री बी.एस.कलेश सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में जावद के असलम मोहम्मद, नीमच सिटी की पायल, नयागांव के राजू धाकड़, पिपलिया की विद्याबाई, स्कीम नं.34 नीमच की संतोष देवी, सेमली चंद्रावत के राधेश्याम, जावद के आसिफ, देवरान के कारूलाल, कंजार्डा के प्रेमचंद्र, दामोदरपुरा की शांतिबाई, तालखेडा के धन्नालाल, गिरदौडा के भारतसिह, लसूडी तंवर के ओमप्रकाश, चल्दू के गौरव सिह, विकास नगर नीमच के मनोज कुमार, आंत्रीमाता के राजमल ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए।

इसी तरह सरवानिया बोर की रामप्यारी बाई, मोरवन के सुरेन्द्र कुमार, धनेरिया कलां के मोहनलाल, स्कीम नं.34 नीमच की रूकमणी, बल्दरखा के शंकरलाल, जन्नौद के मोहन, विकास नगर नीमच की कमलादेवी, अथवा बुजुर्ग के सुनील, रतनगढ़ के चांदमल, कुमारिया विरान की कलाबाई, ऊचेड की जमुना, रतनगढ के राधेश्याम ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जिस पर कलेक्टर ने कार्यवाही करने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को दिए।

एक नजर — 1 करोड़ बकाया पर दो दुकानों पर लिया कब्जा

नीमच में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बड़ी कार्रवाई

नीमच। शहर में बकाया प्रॉपर्टी लोन के मामले में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सरफेसी एक्ट, 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए दो दुकानों पर भौतिक कब्जा ले लिया। यह कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।

50-50 लाख का लोन, कुल 1 करोड़ बकाया -जानकारी के अनुसार, एलआईसी कार्यालय गेट के सामने स्थित एक मल्टी के प्रथम तल पर बनी दो दुकानों पर क्रमश: जगदीश चंद्र रामचंद्र बेरवा और शिव शक्ति पात्र भंडार के नाम से 50-50 लाख रुपये का प्रॉपर्टी लोन स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार कुल एक करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। बैंक के पोर्टफोलियो कलेक्शन मैनेजर विवेक चौहान ने बताया कि उधारकर्ताओं को समय-समय पर नोटिस भेजे गए और व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर भुगतान का आग्रह किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

सरफेसी एक्ट के तहत प्रक्रिया-बैंक अधिकारियों के अनुसार, सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत 60 दिन का मांग नोटिस जारी किया गया था। नियत अवधि में भुगतान नहीं होने पर धारा 13(4) के तहत संपत्ति पर कब्जा लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। नियम 8(1) के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा पहले प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया और संपत्ति पर नोटिस चस्पा किए गए। नोटिस में स्पष्ट किया गया कि संपत्ति पर बैंक का प्रथम भार है तथा किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अनाधिकृत प्रवेश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताले तोड़कर लिया भौतिक कब्जा

नोटिस अवधि पूर्ण होने और भुगतान या आपत्ति प्राप्त न होने पर न्यायालय के आदेश से दोनों दुकानों के ताले तोड़कर भौतिक कब्जा लिया गया। कार्रवाई के दौरान बैंक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सूचना फैलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई और क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया।

अब होगी सार्वजनिक नीलामी- बैंक अधिकारियों ने बताया कि अब वैधानिक प्रक्रिया के तहत संपत्ति का मूल्यांकन कराया जाएगा और सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि से बैंक अपना बकाया वसूल करेगा। यदि राशि अधिक हुई तो शेष धनराशि उधारकर्ता को लौटाई जाएगी, जबकि कम होने की स्थिति में शेष वसूली के लिए अन्य कानूनी उपाय किए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है किसरफेसी एक्ट के तहत बैंक लंबी अदालती प्रक्रिया के बिना बंधक संपत्ति पर कार्रवाई कर सकता है, बशर्ते सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो। यह कार्रवाई उन उधारकर्ताओं के लिए चेतावनी मानी जा रही है जो नोटिस मिलने के बावजूद ऋण भुगतान में लापरवाही बरतते हैं।